प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सोलह'

प्रश्न सं. [क्र. 961]

[30/11/2017]

परिशिष्ट–एक

तारांकित प्रश्न –961

उत्तर 'क' वर्णित अधोलिखित तीनों महाविद्यालयों में उनके नाम के समक्ष संकायों में विद्यार्थी प्रवेशित हुए है:–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्रवेशित कुल विद्यार्थियों की संख्या	
		कला संकाय	विज्ञान संकाय
1	शास. महावि. ढीमरखेड़ा	29	31
2	शास. महावि. सिलौड़ी	33	33
3	शास. महावि. उमरियापान	6	6

प्रवेश प्रक्रिया के पूर्व कॉलेज चलो अभियान के तहत् महाविद्यालय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। नवीन महाविद्यालय खोले जाने की सूचना हेतु बैनर लगाये गये, संबंधित क्षेत्रों में आस–पास के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित किया गया। आगामी सत्र में सकल दाखिला अनुपात में वृद्धि होने की संभावना है।

(डॉ. एल एस सोलंकी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

परिशिष्ट–दो

तारांकित प्रश्न –961

नवीन महाविद्यालय ढीमरखेड़ा, सिलौड़ी एवं उमरियापान में प्रशासनिक व्यवस्था तथा सुचारू शैक्षणिक व्यवस्था के संचालन हेतु कटनी जिले के अग्रणी महाविद्यालय से शिक्षकों को रिडिप्लाय किया गया। महाविद्यालयों के विषयवार स्वीकृत, रिक्त पदो के विरूद्ध अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर शैक्षणिक कार्य संपादित कराया जा रहा है। महाविद्यायों में विषयवार स्वीकृत–33 पदों में से 25 विषयों पर अतिथि विद्वान की व्यवस्था कर गई है। । तृतीय चरण की प्रकिया प्रारंभ है।

तीनों महाविद्यालयों में **अराजपत्रित संवर्ग** के मुख्यलिपिक, लेखापाल एवं सहायक वर्ग–2 के पद नियमित पदस्थापना के पद है। तीनों पद पदोन्नति के पद है। पदोन्नति का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण लंबित है। न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण के उपरान्त ही पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकेगी। अन्य तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पद आउटसोर्स के पद हैं । आउटसोर्स के नियम निर्देशों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संशोधित नीति जारी होने के पश्चात् निविदा विज्ञापन जारी कर पूर्ति की जा सकेगी। नियमित पदों की पूर्ति यथासमय स्थानांतरण/पदोन्नति के द्वारा की जा सकेगी।

(डॉ. एल एस सोलंकी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.